प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रमाँक 654/1998

अपीलार्थीगण श्रीमती अनु मुखर्जी एवं अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी अश्वनी कुमार शर्मा एवं अन्य

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत विविध अपील)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ शर्मा, के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री ए. एल. सिंगरौल।

प्रत्यर्थी क्रमाँक 1 एवं 2 की ओर से कोई नहीं।

प्रत्यर्थी क्रमाँक 3 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीकुमार अग्रवाल, के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार गुप्ता।

निर्णय (23.10.2013)

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'मो.या. अधि.') की धारा 173 के तहत इस न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण ने तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (संक्षेप में 'दावा अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमाँक 114/1996 में पारित पंचाट दिनांक 31/07/1997 को आक्षेपित किया है, जिसके द्वारा दावा अधिकरण ने मो.या. अधि. की धारा 166 के तहत प्रस्तुत दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया और दावाकर्तागण को 12% वार्षिक ब्याज के साथ कुल ₹6,00,000 का प्रतिकर प्रदान किया था।

2. इस अपील के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

2.1 अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण ने वृद्धि की मांग करते हुए यह अपील प्रस्तुत की है।

2.2 मृतक उमाशंकर मुखर्जी की विधवा, अवयस्क पुत्र व पुत्री और माता-पिता होने के नाते अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण ने मो.या. अधि. की धारा 166 के तहत दावा याचिका प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ यह तर्क दिया गया कि दिनाँक 30/07/1996 को, प्रत्यर्थी क्रमाँक 1- अश्वनी कुमार शर्मा ने, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन जिसका पंजीयन क्रमाँक एमपी-23/जे/0010 है, जो प्रत्यर्थी क्रमाँक 2 के स्वामित्व वाले और प्रत्यर्थी क्रमाँक 3 के पास बीमित वाहन था; को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मृतक उमाशंकर मुखर्जी के स्कूटर को टक्कर मार दी; जिससे उन्हें क्षतियां कारित हुईं और तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दावाकर्तागण ने यहाँ प्रत्यर्थीगण से संयुक्त रूप से और पृथक पृथक रूप से ब्याज सहित ₹62,00,000 तक के प्रतिकर की मांग की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.3 प्रत्यर्थी क्रमाँक 1 और 2 ने दावा याचिका का विरोध करते हुए संयुक्त लिखित अभिवचन प्रस्तुत किया; जबकि प्रत्यर्थी क्रमाँक 3, जो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का बीमाकर्ता है, ने भी दावा याचिका का विरोध करते हुए लिखित अभिवचन प्रस्तुत किया।

2.4 अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण की ओर से, दावकर्ता क्रमाँक 1- श्रीमती अनु मुखर्जी (असा-1) और सी.बी. सिंह (असा-2) का परीक्षण किया गया और उन्होंने अपने प्रकरण के समर्थन में प्रदर्श पी-1 और पी-2 के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए; जबकि प्रत्यर्थीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया और न ही किसी साक्षी का परीक्षण कराया।

2.5 दावा अधिकरण ने साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच के उपरांत निम्नानुसार अवधारित किया:

(i) उमाशंकर मुखर्जी की मृत्यु प्रत्यर्थी क्रमाँक 1/चालक के उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कृत्य के कारण हुई थी।

(ii) दुर्घटना कारित करने वाला वाहन प्रत्यर्थी क्रमाँक 1 द्वारा चलाया जा रहा था, जो प्रत्यर्थी क्रमाँक 2 के स्वामित्व में था और प्रत्यर्थी क्रमाँक 3 के पास बीमित था।

(iii) मृतक उमाशंकर मुखर्जी देना बैंक में प्रबंधक थे और प्रति माह ₹10,005.06 वेतन प्राप्त कर रहे थे; उनके वेतन से विभिन्न कटौतियों के रूप में ₹3,544 काटे जा रहे, उनका नकद प्राप्त वेतन ₹6,461.06 प्रति माह था। उनके व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के लिए 1/3 की कटौती करने के बाद, उनकी मासिक निर्भरता ₹4,307.38 आती है और पूर्णांक में, इसे ₹4,000 उनकी मासिक निर्भरता के रूप में लिया गया, जो ₹48,000 प्रति वर्ष होती है; और 15 का गुणक लगाकर, उनकी कुल निर्भरता ₹7,20,000 निर्धारित की गई, जिसे ₹1,20,000 घटाकर आवेदन की तारीख से 12% ब्याज के साथ ₹6,00,000 कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ शर्मा ने श्री ए. एल. सिंगरौल के साथ निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:-

(i) विचारण न्यायालय ने मृतक उमाशंकर मुखर्जी के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय हेतु 1/3 की कटौती करने में विधिक त्रुटि कारित की है, उसे उक्त व्यय हेतु 1/4 की कटौती करनी चाहिए थी।

(ii) आयकर की कटौती को छोड़कर वैधानिक कटौती के बिना मृतक की मासिक आय ₹10,000 प्रति माह ली जानी चाहिए थी।

4. अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य**[1], **रेशमा कुमारी एवं अन्य विरुद्ध मदन मोहन एवं अन्य**[2] और **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध इंदिरा श्रीवास्तव एवं अन्य**[3] प्रकरणों का अवलंब लिया है।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमाँक 3 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीकुमार अग्रवाल के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार गुप्ता ने पंचाट का समर्थन करते हुए अन्य बातों के साथ साथ यह कहा कि आक्षेपित पंचाट पूरी तरह से विधि के अनुरूप है और मो.या. अधि., 1988 की धारा 173 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

1 (2009) 6 एससीसी 121
2 2013 एसटीपीएल (वेब) 262 एससी
3 (2008) 2 एससीसी 763

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और यहाँ प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा दावा अधिकरण के अभिलेख का परीशीकन किया है।

7. पक्षकारों की तथ्यात्मक और विधिक तर्कों के आधार पर, इस प्रकरण में निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं:

> **(I)** क्या दावा अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के लिए की गई 1/3 राशि की कटौती उचित और सही है?
>
> **(ii)** क्या मृतक उमाशंकर मुखर्जी की आय की गणना करते समय उनके वेतन में किए गए अंशदान को काटा जा सकता है?
>
> **(iii)** कितनी बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, जिसके दावाकर्तागण अधिकारी हैं?

<u>बिंदु क्रमाँक 1 का उत्तर</u>

8. वर्तमान प्रकरण में, मृतक उमाशंकर मुखर्जी के आश्रितों की संख्या पाँच है। सरला वर्मा (**पूर्वोक्त**) के निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहाँ आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 हो, वहाँ मृतक के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के लिए 1/4 की कटौती की जानी चाहिए। इसने निम्नानुसार व्यवस्था दी:

> 30. यद्यपि कुछ मामलों में व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के लिए की जाने वाली कटौती की गणना त्रिलोक चंद्रा (1996) 4 एससीसी 362 में इंगित इकाइयों के आधार पर की जाती है, सामान्य प्रथा मानक कटौतियों को लागू करने का है। इस न्यायालय के कई उत्तरवर्ती निर्णयों पर विचार करने के बाद, हमारा यह मत है कि जहाँ मृतक विवाहित था, वहाँ मृतक के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय हेतु कटौती, जहाँ आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 से 3 हो, एक-तिहाई (1/3); जहाँ आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 हो, एक-चौथाई (1/4); और जहाँ आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छह से अधिक हो, वहाँ एक-पाँचवाँ (1/5) होनी चाहिए।

9. उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय पर विचार किया गया और **रेशमा कुमारी** (पूर्वोक्त) के निर्णय में भी इसका अनुसरण किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

> 39. हमारे विचार में, सरला वर्मा [(2009) 6 एससीसी 121] में इस न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत जीवन निर्वाह व्यय के लिए कटौती के पहलू पर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कंडिका 30, 31 और 32 में निर्धारित किए गए मानकों का सामान्यतः पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि पिछली कंडिका में उल्लेखित परिस्थितियों में विचलन का कोई मामला न बनता हो।

10. इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित **पूर्वोक्त** सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि विद्वान दावा अधिकरण ने मृतक के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय हेतु 1/3 की कटौती करने में विधिक त्रुटि की है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में मृतक के परिवार के आश्रितों की संख्या पाँच है; और, मृतक के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय की वास्तविक कटौती 1/4 होनी चाहिए। तदनुसार, मैं यह मानता हूँ कि मृतक के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय हेतु 1/4 की कटौती उचित और न्यायसंगत होगी। इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

बिंदु क्रमाँक 2 का उत्तर

11. विद्वान दावा अधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण ने प्रदर्श पी-2 के माध्यम से देना बैंक में एक अधिकारी के रूप में मृतक की मासिक आय ₹10,005.06 सिद्ध किया गया है, जो निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिससे भी यह संबंधित हो

जुलाई-96 माह के लिए स्वर्गीय श्री यू.एस. मुखर्जी (अधिकारी) टाटीबंध शाखा का वेतन विवरण

कार्यग्रहण की तिथि - 18.03.1981

मूल वेतन - ₹6900.00

महंगाई भत्ता - ₹2380.56

मकान किराया भत्ता - ₹724.50

कुल ₹10005.06

12. दावा अधिकरण ने ₹3,544 की कटौती की है जो मृतक उमाशंकर मुखर्जी के वेतन से महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते आदि के लिए किया गया अंशदान है और उसके बाद, उनके नकद प्राप्त वेतन को ₹6,461.6 प्रति माह माना है। उनके व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के लिए 1/3 की कटौती के बाद, कुल निर्भरता ₹4,307.38 प्रति माह आती है; जिसे पूर्णांक में ₹4,000 उनकी मासिक आय के रूप में लिया गया है।

13. यह प्रश्न कि क्या मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता और अन्य वैधानिक लाभों के लिए किए गए अंशदान की कटौती की जाएगी, उचित और न्यायसंगत प्रतिकर की गणना करते समय अब कोई *अनिर्णित विधि* नहीं रह गई है।

14. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि दावा अधिकरण निर्भरता प्रतिकर की गणना के लिए मासिक आय का निर्धारण करते समय मृतक व्यक्ति के वेतन से केवल आयकर और व्यवसायिक कर जैसी सांविधिक कटौतियां और कोई अन्य अंशदान, जो नियोक्ता द्वारा प्रतिदेय नहीं है, ही काट सकता है। कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान वेतन के हिस्से से किया गया कोई भी अंशदान मासिक आय में शामिल किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

> 14. यह प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष द मैनेजर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध पद्मावती एवं अन्य [सीएमए क्रमाँक 114 वर्ष 2006, निर्णित दिनांक 29.01.2007: 2007 एआईएचसी 192] के प्रकरण में विचार के लिए आया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था:(एआईएचसी पीपी. 1927-28, कंडिका 7)
>
> "7........ आयकर, वृत्ति कर जो वेतनभोगी व्यक्ति से काटे जाते हैं, वे विशिष्ट मद के तहत शासन के कोष में जाते हैं और उनकी कोई वापसी नहीं होती है। जबकि, सामान्य भविष्य निधि, विशेष भविष्य निधि, एल.आई.सी. अंशदान वे राशियाँ हैं जो विशिष्ट मदों में भुगतान की जाती हैं और यह अंशदान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मृत्यु या किसी अन्य कारण से कर्मचारी को हमेशा प्रतिदेय होता है। वेतनभोगी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा अंशदान स्थगित भुगतान है और वे बचत हैं। उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने यह निर्धारित किया है कि मोटर यान अधिनियम के तहत देय प्रतिकर वैधानिक है और कर्मचारी को किए गए स्थगित भुगतान संविदात्मक हैं। न्यायालयों ने यह माना है कि सांविधिक प्रतिकर में कोई कटौती नहीं हो सकती है, यदि विधिक प्रतिनिधि संविदात्मक दायित्व के तहत एकमुश्त भुगतान के हकदार हैं। यदि कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान, जो अन्यथा बचत हैं, को सकल आय से काट दिया जाता है और निर्भरता प्रतिकर की गणना के लिए केवल शुद्ध आय ली जाती है, तो मृतक के विधिक प्रतिनिधियों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को आय का काफी हिस्सा खोना पड़ेगा। विधि के स्थापित सिद्धांत के आलोक में, मेरा यह मत है कि अधिकरण निर्भरता प्रतिकर की गणना के लिए मासिक आय का निर्धारण करते समय मृतक व्यक्ति के वेतन से केवल आयकर और वृत्ति कर जैसी सांविधिक कटौतियां और कोई अन्य अंशदान, जो नियोक्ता द्वारा प्रतिदेय नहीं है, ही कर सकता है। कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान किया गया कोई भी अंशदान वेतन का हिस्सा होता है और उन्हें निर्भरता प्रतिकर की गणना करते समय मासिक आय में सम्मिलित किया जाना चाहिए।"

19. अतः वे राशियाँ, जो नियोक्ता द्वारा मृतक को परिलब्धियों के रूप में दी जानी थीं, उसकी मासिक आय की गणना में शामिल की जानी चाहिए क्योंकि वे परिवार के प्रति योगदान के रूप में उसकी मासिक आय में जुड़ी होतीं हैं। हालांकि, हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि उक्त आय की राशि से, उस पर देय वैधानिक कर की राशि काटी जानी चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

26. उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में, अपील को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय ने संपूर्ण राशि पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति और कर कटौती का निर्देश दिया था, जो विधि के अनुसार आय का भाग है। लेकिन हम दो कारणों से यह करने से इंकार करते हैं। पहला, दुर्घटना 1 सितंबर 1997 को हुई थी और दूसरा, अधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने मृतक की पदोन्नति या अन्य माध्यमों से आय में हुई वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा।

15. **रघुवीर सिंह माटोल्या एवं अन्य विरुद्ध हरी सिंह मालवीय एवं अन्य**[4] के निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या मृतक को देय महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के संदर्भ में देय प्रतिकर की राशि की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए और निर्धारित किया:

8. इसलिए, हमारा यह मत है कि मृतक की आय और फलस्वरूप प्रतिकर की राशि निर्धारित करने के लिए मृतक को देय 'महंगाई भत्ता' और 'मकान किराया भत्ता' सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

16. इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह मत है कि विद्वान दावा अधिकरण ने मृतक की आय की गणना करते समय उसके वेतन से ₹3,544 की कटौती करने में विधिक त्रुटि की है, जो मृतक द्वारा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता

4 2009 (4) एससीजे 344

आदि के रूप में किया गया अंशदान था। इस प्रकार, मृतक की मासिक आय ₹10,000 प्रति माह और ₹1,20,000 प्रति वर्ष होगी। अतः इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया।

बिंदु क्रमाँक 3 का उत्तर

17. मृतक की मासिक आय ₹10,000 प्रति माह और ₹1,20,000 प्रति वर्ष होगी। जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निर्धारित किया गया है, मृतक के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय हेतु 1/4 की कटौती करने के बाद, वार्षिक निर्भरता ₹90,000 होगी और सरला वर्मा (पूर्वोक्त) में बताए अनुसार 14 का उचित गुणक लगाने पर, ₹12,60,000 उचित और न्यायसंगत प्रतिकर होगा, जिसके अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण हकदार हैं। दावेदार क्रमाँक 1 साहचर्य की हानि के लिए ₹10,000 और अंत्येष्टि व्यय के लिए ₹5,000 की भी अधिकारी है। अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण कुल ₹12,75,000 (12,60,000 + 15,000) के प्रतिकर के अधिकारी हैं। दावा अधिकरण द्वारा पहले ही कुल ₹6,00,000 की राशि प्रदान की जा चुकी है, अतः बढ़ी हुई राशि ₹6,75,000 (12,75,000 - 6,00,000) होगी, जो आवेदन की तिथि से उसके संदाय तक 7% ब्याज के साथ देय होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया।

निष्कर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और दावा अधिकरण के पंचाट को ऊपरोक्त उल्लेखित विस्तार तक संशोधित किया जाता है।

19. प्रत्यर्थी क्रमाँक 3/बीमा कंपनी को बढ़ी हुई राशि ₹6,75,000 को 7% ब्याज के साथ संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष जमा करने के लिए 3 माह का समय दिया जाता है।

हस्ता/-

संजय के. अग्रवाल

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By अधिवक्ता राजकुमार वर्मा